

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम० रामचन्द्रुडु  
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा/जहानाबाद/गया/नालंदा/समस्तीपुर।

पटना-15, दिनांक- 21/1/19

विशय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष-2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष -60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम- लघु शीर्ष -200-अन्य कार्यक्रम-उप शीर्ष -0008-गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड-39-2235602000008 मद में कुल ₹46.844 लाख (छियालीस लाख चौरासी हजार चार सौ रु०) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष -2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष -60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष -200- अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष -0008- गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष -200 अन्य कार्यक्रम।

उपशीर्ष -0008- गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित

व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान

मांग संख्या- 39, विषय शीर्ष- 37 01 अनुग्रह अनुदान

(राशि रुपये लाख में)

क्र०	जिला का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मधेपुरा	1	0	0.00 (शून्य)	1.50 (एक लाख पचास हजार)	1.50 (एक लाख पचास हजार)
2	जहानाबाद	5	0	8.00 (आठ लाख)	20.00 (बीस लाख)	28.00 (अठाईस लाख)
3	गया	1	0	0.00 (शून्य)	1.00 (एक लाख)	1.00 (एक लाख)
4	नालंदा	2	0	0.00 (शून्य)	8.00 (आठ लाख)	8.00 (आठ लाख)
5	समस्तीपुर	0	0	4.00 (चार लाख)	16.344 (सोलह लाख चौतीस हजार चार सौ)	20.344 (बीस लाख चौतीस हजार चार सौ)
	कुल योग	9	0	12.00 (बारह लाख)	46.844 (छियालीस लाख चौरासी हजार चार सौ)	58.844 (अनठावन लाख चौरासी हजार चार सौ)

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 371 दिनांक 19.05.18/जहानाबाद के पत्रांक 10 दिनांक 07.01.19/गया के पत्रांक 3569 दिनांक 02.11.18/नालंदा के पत्रांक 1257 दिनांक 11.12.18/समस्तीपुर के पत्रांक 840 निांक 12.12.18 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय संकल्प संख्या 2901/आ0प्र0

दिनांक 03.10.08 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'घटना गैर प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त गैर प्राकृतिक आपदा की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्तियों के आश्रितों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. विभागीय पत्रांक 4310/आ0प्र0 दिनांक 11.12.18 (विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध) द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में उक्त अनुग्रह अनुदान की राशि PFMS प्रणाली के माध्यम से सीधे आपदा पीड़ितों के खाते में हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैंक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
अपर सचिव

ज्ञापांक- 78 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-21/1/19  
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 78 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 21/1/19  
प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 78 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 21/1/19  
प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक - 78 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 21/1/19  
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 78 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 21/1/19  
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव